भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या: 203

गुरुवार, 13 मार्च, 2025 (22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़ान' संबंधी मार्गों का बंद होना

***203. श्री जगदम्बिका पाल:**

डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोविड-19, इंजन संबंधी वैश्विक समस्याओं और विमान कंपनियों में काम बंद होने की स्थिति से उत्पन्न व्यवधानों के कारण 'उड़ान' संबंधी 114 मार्ग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) उक्त बंद मार्गों के लिए पुन: बोली लगाए जाने और पुन: कार्य प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा तथा प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा 'उड़ान' संबंधी फ्लाइट रद्द होने के संबंध में खराब मौसम और परिचालन संबंधी बाधाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'उड़ान संबंधी मार्गों का बंद होना' के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल और डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') के अंतर्गत, अनेक कारणों जैसे कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों के कारण कई विमानों की ग्राउंडिंग, एयरलाइनों के बंद होने और कुछ मार्गों पर कम यात्री माँग के कारण 114 आरसीएस मार्ग बंद कर दिए गए हैं।

सरकार नियमित रूप से उन मार्गों की निगरानी करती है जिन पर उड़ान योजना के अंतर्गत परिचालन बंद हो गया है तथा ऐसे मार्गों को चालू करने के लिए विशेष बोली प्रक्रिया आयोजित करती है। उपर्युक्त वर्णित विभिन्न कारणों से बंद किए गए मार्गों पर फिर से बोली लगाई गई है, उन्हें उत्तरवर्ती चरणों में अवार्ड और प्रचालनरत किया गया है। बंद किए गए ऐसे 114 मार्गों में से उत्तरवर्ती चरणों में अन्य चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को अवार्ड किए जाने पर वर्तमान में योजना के अंतर्गत 26 मार्ग कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, उड़ान योजना से इतर, बिना व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) या किसी अन्य रियायत के, अन्य एयरलाइनों द्वारा 20 मार्गों का भी वाणिज्यिक प्रचालन किया जा रहा है। 42 मार्ग पुन: बोली लगाए जाने के लिए आरसीएस मार्ग होने के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्ग को जोड़ने वाले दोनों हवाईअड्डे सेवित हवाईअड्डे हैं। इसके अलावा, शेष 26 मार्ग जो पात्र हैं और आरसीएस मार्ग के मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके प्रचालन पर वैध बोलियाँ प्राप्त होने पर उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(घ) उड़ान योजना की उड़ानों सहित, उड़ान रद्द होने की स्थिति में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "बोर्डिंग करने से मना किए जाने, उड़ान रद्द किए जाने एवं उड़ान में विलंब के कारण, एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर) खंड-3, श्रृंखला-एम, भाग-IV जारी किया है।
उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी:
(i) जिन यात्रियों ने नियत समय पर चेक-इन किया है और एयरलाइन को प्रस्थान के अपने मूल रूप से घोषित निर्धारित समय या प्रस्थान के संशोधित समय से दो घंटे या उससे अधिक की देरी की उम्मीद है, तो उन यात्रियों को प्रतीक्षा समय के संबंध में भोजन और जलपान।
उड़ान में 2 घंटे तक की देरी - पीने का पानी
2 से 4 घंटे के बीच - नाश्ते/जलपान के साथ चाय/कॉफी
4 घंटे से अधिक - भोजन
(ii) रात भर की देरी होने की स्थिति में, स्थानांतरण सहित होटल आवास।
(iii) यदि अपेक्षित देरी 6 घंटे से अधिक है, तो एयरलाइनें वैकल्पिक उड़ान/पूर्ण धन वापसी का विकल्प प्रदान करेंगी।

इसके अलावा, खराब मौसम की स्थिति में कम दृश्यता के कारण रद्दकरण को कम करने के लिए, भा.वि.प्रा. हवाईअड्डों पर विशेष वीएफआर, आईएफआर और आरएनपी प्रणालियों जैसी तकनीकों को तेजी से अपना रहा है।

*****